न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 36 / 2021 **दायर दिनांक :—16.02.2021**

उनवान

1. अमरलाल पुत्र गेन्दीलाल मृतक

1/1 रमेशचन्द पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया

1/2 अशोक कुमार पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया

1/3 कैलाशचन्द पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया

1/4 बृजमोहन पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया

1/5 नवलकिशोर पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया

1/6 विमल कुमार पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

2. ललावती पुत्री रामगोपाल पत्नि नन्दलाल जातियान अहीर निवासीगण गन्दोलिया तह० अटरू जिला बाराँ (राज०)

3. रामनाथी बाई पुत्री रामगोपाल पत्नि जगन्नाथ जाति अहीर निवासी गन्दोलिया हाल निवासी टांचा तहसील छीपाबडोद जिला बारां (राज०)

वादीगण

बनाम

1. तेजगिरी पुत्र नारायणगिरी जाति गुसाई निवासी पिडावा

2. नन्दकिशोर पुत्र नारायणगिरी जाति गुसाई निवासी पिडावा

3. सुहाग बाई पुत्री नारायाणगिरी जाति गुसाई निवासी पिडावा तहसील पिडावा जिला झालावाड (राज०)

4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज०)

5. राजेन्द्र कुमार पुत्र नन्दलाल अहीर निवासी छीपाबडोद तह० अटरू

6. कुलदीप पुत्र मुरारीलाल अहीर निवासी कवाई तह० छीपाबडोद

7. वैशाली मंगल पत्नि गोविन्दलाल महाजन निवासी कवाई तह० अटरू जिला बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

8. पुष्पेन्द्र अहीर पुत्र सत्यनारायण अहीर निवासी छैलाबेल तह० अटरू जिला बाराँ (राज०) प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर०टी०एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा

प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री कृष्णकान्त शर्मा प्रतिवादी कम 1 ता 4, 6 व 8

प्रतिवादी कम 5 व 7:— स्वयं।

निर्णय

दिनांकः— 02.04.2025

वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर0टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 118 का ख0न0 10/841 का रकबा 0.04 है०, ख0न0 191 का रकबा 0.24 है०, ख0न0 197 का रकबा 0.08 है०, ख0न0 29 का रकबा 3.96 है०, ख0न0 324 का रकबा 1.27 है०, ख0न0 326/944 का रकबा 0.09 है०, ख0न0 327 का रकबा 0.29 है०, ख0न0 328/924 का रकबा 0.07 है०, ख0न0 329/925 का रकबा 0.20 है० कुल किता 9 का कुल रकबा 6.24 हैक्टर आराजी खातेदार नारायणगिरी चेला शंकरगिरी जाति गुसाई निवासी धानोदा तहसील खानपुर जिला झालावाड (राज०) के दर्ज खाता स्थित है। खातेदार नारायणगिरी की लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है जिसके कोई चेला (वारिस) नही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 एवं नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। सेटलमेन्ट से पूर्व वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का कुल किता 4 का रकबा 37 बीघा 8 बिस्वा भूमि में खातेदार नारायणगिरी के साथ जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021 के कॉलम संख्या 4 में कृषक विवरण में वादी क्रम 1 अमरलाल व वादी क्रम 2 लगायत 3 के पिता रामगोपाल का नाम दर्ज है एवं खसरा गिरदावरी सम्वत् 2019 से 2022 में वादी क्रम 1 अमरलाल [illegible] क्रम 2 लगायत 3 के पिता रामगोपाल का नाम दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021 एवं [illegible]रा गिरदावरी सम्वत् 2019 से 2022 एवं मिलान क्षेत्रफल साथ में संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त गत 50—60 वर्ष से लगातार बिना व्यवधान के चला आ रहा है इसलिये लम्बे समय से चले आ रहे कब्जे काश्त के आधार पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ एडवर्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

फजेशन के आधार पर वादीगण खातेदार कृषक बन चुके है। इसलिये वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पर वादीगण खातेदार कृषक घोषित होकर राजस्व जमाबन्दी में अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी एवं नॉलिशी है। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाना सम्भव नही है। अगर उक्त वर्णित आराजी पर से प्रतिवादी ने वादीगण को बेदखल कर दिया तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी व अपने हक अधिकारों से वचिंत होना पडेगा तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी। अस्तु वादीगण को वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण को आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें। इसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र के लम्बित रहने के दौरान प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 द्वारा निष्पादित अधिकार पत्र (मुख्तार नामा) पंजियन दिनांक 05.07.2023 तथा विक्रय विलेख पंजियन दिनांक 27.12.2023 व 20.12.2022 अकृत अमान्य शून्य है इस वजह से इनको प्रभाव शून्य घोषित किया जाकर निरस्त फरमायाजावें तथा इनके आधार पर खोले गये नामान्तकरण शुरू से ही अवैधानिक एवं गैर कानूनी तथा अकृत अमान्य व शून्य होने की वजह से उन्हे वादीगण प्रभाव शून्य घोषित करवाकर निरस्त करवा पाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 17.12.2020 को तहसीलदार साहब अटरू को वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पर खातेदार कृषक घोषित करने का प्रार्थना पत्र देने पर उनके द्वारा माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह देने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 03.02.2021 को वादीगण को आराजी पर से बेदखल करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वादीगण द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां को रजिस्टर्ड नोटिस मियादी 2 माह अन्तर्गत धारा 80 जा०दी० प्रेषित करवा दिया है लेकिन प्रतिवादी वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पर से वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादी द्वारा आराजी पर से वादीगण को बेदखल कर दिया गया तो वादीगण द्वारा वाद पेश करने का महत्व ही समाप्त हो जावेगा, इस वजह से वादीगण का वाद आवश्यक प्रकृति का होने की वजह से नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा०दी० के साथ माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का प्रार्थना पत्र 80 (2) जा०दी० स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के वाद की नियमित रूप से सुनवाई की जावें। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का होने की वजह से राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार अटरू को प्रतिवादी आवश्यक पक्षकार बनाकर यह वाद पेश किया गया है। वाद ग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वादीगण वाद पर प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावें किः—

(अ) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी ग्राम एवं माल गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बाराँ की खाता संख्या 118 का ख0न0 10/841 का रकबा 0.04 है०, ख0न0 191 का रकबा 0.24 है0, ख0न0 197 का रकबा 0.08 है०, ख0न0 29 का रकबा 3.96 है०, ख0न0 324 का रकबा 1.27 है0, ख0न0 326/944 का रकबा 0.09 है०, ख०न० 327 का रकबा 0.29 है०, ख0न0 328/924 का रकबा 0.07 है०, ख0न0 329/925 का रकबा 0.20 है० कुल किता 9 का कुल रकबा 6.24 हैक्टर पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वादीगण को वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त करने देंवे। इसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

(ब) (1) वाद पत्र के लम्बित रहने के दौरान प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 द्वारा निष्पादित अधिकार पत्र (मुख्तार नामा) पंजियन दिनांक 05.07.2023 तथा विक्रय विलेख पंजियन दिनांक 27.12.2023 व 20.12.2022 अकृत अमान्य शून्य है इस वजह से इनको प्रभाव शून्य घोषित किया जाकर निरस्त फरमाया जावें तथा इनके आधार पर खोले गये नामान्तकरण शुरू से ही अवैधानिक एवं गैर कानूनी तथा अकृत अमान्य व शून्य होने की वजह से उन्हे प्रभाव शून्य घोषित किया जाकर निरस्त फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह वादीगण को प्रदान की जावें।

अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम व माल गन्दोलिया खाता संख्या 118 सम्वत 2072–2075, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम गन्दोलिया, नकल जमाबन्दी ग्राम गन्दोलिया सम्वत 2018–2021, नकल खसरा गिरदावरी ग्राम गन्दोलिया सम्वत 2019–2022, आधार कार्ड रामनाथी बाई, भामाशाह कार्ड रामनाथी बाई, परिवार राशन कार्ड जगन्नाथ, आधार कार्ड अमरलाल, परिवार राशन कार्ड अमर लाल यादव, भामाशाह कार्ड गेंदीलाल, ग्राम पंचायत खुरी प्रमाण पत्र आदि पेश किऐ गऐ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद न. 1 में अंकित भूमि व खातेदार नारायणगिरी होना स्वीकार है । शेष विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद न. 2 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद न. 3 का विवरण गलत तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है। वाद पत्र की मद न. 4 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद न. 5 मनगढ़ंत होने से अस्वीकार है। वाद पत्र की मद न. 6 अस्वीकार है। क्योंकि वाद पत्र की मद न. 1 में नारायण गिरि को लाऔलाद बताया है। जब नारायण गिरि के औलाद ही नहीं है तो बेदखल करने कौन आया? तथा यदि बेदखल करने आये तो उन व्यक्तियों को पक्षकार क्यों नहीं बनाया। वाद पत्र की मद न. 7,8,9 कानूनी होने से स्वीकार है। वाद पत्र की मद न. 10 अस्वीकार है ।

यह कि प्रार्थना वादीगण अस्वीकार है तथा निम्नलिखित विशेष कथन पेश किए गए।

विशेष कथन

ग्राम गन्दोलिया में स्थित वाद अंकित भूमि धानोदा कला तहसील खानपुर में स्थित मठ की भूमि है। जिसमे (महादेव) शिव भगवान की पूजा होती है। धानोदा कला में भी इसकी भूमि है, जिसका लगान नारायणगिरी देता रहा है और नारायणगिरी ही खातेदार है। वाद अंकित ग्राम गन्दोलिया की खाता संख्या 118 कुल रकबा 6.24 है. भूमि मठ (मंदिर) की भूमि है। इस भूमि को मुनाफे में अथवा पाति पर देने [illegible] काश्त करने वाले को खातेदारी Sub Tenant नहीं कहा जा सकता। मठ मंदिर भगवान [illegible] के नाम होते हैं। भगवान नाबालिग होने से पुजारी ही उसके संरक्षक है। मंदिर में स्थापित [illegible] की पूजा प्रतिष्ठा, भोग इत्यादि के लिए यह भूमि सेवादार शंकरगिरी को दी गई थी। शंकरगिरी की मृत्यु बाद बेटा नारायणगिरी अंकित किया गया तथा नारायणगिरी की मृत्यु बाद उसके वारिसान तेजगिरी, नंदकिशोर एवं सुहाग बाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

ही इस वाद अंकित भूमि के खातेदार कृषक है। जो न्यायालय सम्बंधित में विचाराधीन है। नारायण गिरि पुत्र शंकर गिरि तहसील पिडावा जिला झालावाड के रहने वाले थे। कोषाधिकारी झालावाड द्वारा मंदिर की पूजा पाठ हेतु दी जाने वाली राशि के प्रपत्र में भी नारायण गिरि पुत्र शंकर गिरि अंकित किया है। जिससे स्पष्ट है कि चेला प्रथा समाप्त हो गई थी। नारायण गिरि शंकर गिरि के पुत्र है न कि चेला है। मठ मंदिर को दी जाने वाली भूमि तत्कालीन सरकार (राजा–महाराजा) द्वारा दी गई थी। जो जागीरदारी प्रथा समाप्त होने के साथ ही जागीरदार राजा द्वारा दी गई भूमि पर नारायण गिरि खातेदार हो गया। तहसीलदार अटरु द्वारा नारायणगिरि के प्रार्थना पत्र दिनांक 19/02/1964 पर अंकित रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट के पहले से ही नारायण गिरि का नाम चला आ रहा है। धानोदा कला की खाता संख्या 116 में नारायणगिरी पुत्र शंकरगिरी अंकित है। क्योंकि ग्राम गन्दोलिया की खाता संख्या 118 की भूमि भी धानोदा कला मठ से सम्बंधित है। इसलिए नारायणगिरी की मृत्यु बाद उसके वारिसान ही इस खाते के खातेदार कृषक है।

अतः माननीय न्यायालय में जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि वादी का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी क्रम 4 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि मद नं0 1. जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि अनुसार स्वीकार है एवं नारायणगिरी के ग्राम गन्दोलिया में कोई वारिसान नहीं है एवं गंदोलिया में मृत्यु नहीं हुई है। जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 व खसरा गिरदावरी संवत् 2019 से 202 की एवं मिलान क्षेत्रफल अनुसार उपकृषक के रूप में रामगोपाल पुत्र कन्हीराम व अमरलाल पुत्र गेंदीलाल जाति अहीर सा. देह का नाम दर्ज है। वाद पत्र के मद संख्या 3 में वर्णित कथन में मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट वर्तमान में खसरा नम्बर 29 रकबा 3.96 हे० व ख. न. 10/841 रकबा 0.04 हे0 पर वादीगण ही काश्त कर रहा है एवं ख.न. 324 रकबा 1.27 हे0, ख.न. 327 रकबा 0.29 हे0, ख.न. 328/924 रकबा 0.07 हे०, ख.न. 329/925 रकबा 0.20 हे० पर भोजराज मंगल पुत्र कन्हैयालाल जाति महाजन सा अटरू वर्तमान में काश्त कर रहा है मौके पर उपस्थित भोजराज मंगल ने बताया कि ख. अमरलाल पुत्र गेंदीलाल जाति अहीर से प्रतिवर्ष मुनाफा काश्त पर काश्त करता है। जिसका शपथ पत्र संलग्न है एवं ख.नं. 191 रकबा 0.24 हे0, ख.नं. 197 रकबा 0.08 हे० व ख.नं. 336/944 पर वर्तमान में वादीगणों का कब्जा नहीं है। इस प्रकार ग्रामवासियों द्वारा बत्ताया कि ख.न. 191, 197, 326/944 को छोड़कर शेष संपूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बरान पर लगभग 40—50 वर्षों से वादीगणों का कब्जा काश्त चला आ रहा है। मद संख्या 4 से लेकर मद नं0 10 में वर्णित कथन कानूनी है।

प्रतिवादी क्रम 5 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया कि मद नं0 1 वादपत्र में आराजी का विवरण स्वीकार है, किन्तु शेष तथ्य मिथ्या व गलत होने से अस्वीकार है, प्रतिवादी कम 1 ता 3 मेल खातेदार के जायज वारिस हैं, साथ ही प्रतिवादी कम 5 को जबरन परेशान करने की गरज से जबरन पक्षकार बनाया गया है, इस कारण उक्त वाद पत्र खारिज होने योग्य है। मद नं0 2 वादपत्र जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। मद नं० 3 वादपत्र में समस्त तथ्य मनगढन्त व काल्पनिक होने से अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि प्रतिवादीगण कम 5 को प्रतिवादी कम 1 ता 3 द्वारा रजिस्टर्ड मुख्तार आम दिनांक 05/07/2023 द्वारा अपना मुख्तार आम नियुक्त था। जिस पर मेने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा भूमि को प्रतिवादी क्रम 6 व 8 को विक्रय किया तथा प्रतिफल प्राप्त किया है। मद नं0 5 वादपत्र गलत व मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है। वादीगण को कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ, वह स्वंय के अनुचित, अवैधानिक व अनाधिकृत कृत्य को छुपाकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। मद नं0 6 वादपत्र कानूनी है। नोटिस देना जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। मद नं0 7 वादपत्र कानूनी है। मद नं० 8 वादपत्र कानूनी है। किन्तु रजिस्टर्ड विकय विलेखों को निरस्त करने का अधिकार सिर्फ सिविल न्यायालय को प्राप्त है। मद नं0 9 वादपत्र कानूनी है। मद नं० 10 वादपत्र कानूनी है। प्रार्थना वादपत्र प्रतिवादी क्रम 5 के विरूद्ध सर्वथा अस्वीकार है तथा निम्नलिखित विशेष कथन व विशेष आपत्तियॉ पेश की गई।

विशेष कथन व विशेष आपत्तियॉ

प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 द्वारा रजिस्टर्ड मुक्तार आम दिनांक 05/07/2023 द्वारा अपना मुक्तार आम नियुक्त था। जिस पर मेने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा भूमि को प्रतिवादी क्रम 6 व 8 को विक्रय किया तथा प्रतिफल प्राप्त किया है। प्रतिवादी क्रम 5 ने उक्त आराजियात को जर्ये रजिस्टर्ड मुख्तार आम के विक्रय किया एवं उक्त आराजी [illegible] को मौके पर जाकर उक्त आराजी पर दखल दिया था। उक्त खरीद दिनांक से ही प्रतिवादी [illegible] 6 व 8 अपनी उक्त खातेदारी की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त बने हुये है। प्रतिवादी क्रम 6 व 8 सद्भावी क्रेता की श्रेणी में आते हैं इस कारण वादपत्र निरस्तनीय है। प्रतिवादी क्रम 5 ने उक्त आराजियात जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय की थी तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख को निरस्त करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

को नहीं है तथा इसकी एक मात्र अधिकारिता सिविल न्यायालय को प्राप्त है इस कारण वादपत्र चलने योग्य नही होने से खारिज होने योग्य है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 5 को जबरन परेशान करने की गरज से जबरन पक्षकार बनाया गया है, वे इस वादपत्र की आढ में दबाव बनाकर उनकी आराजी को छीन कर हडपने का षडयंत्र कर रहे है, इस कारण उक्त वादपत्र खारिज होने योग्य है।

अतः जवाब वादपत्र एवं काउन्टर वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी क्रम 6 व 8 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया कि मद नं० 1 वादपत्र में आराजी का विवरण स्वीकार है, किन्तु शेष तथ्य मिथ्या व गलत होने से अस्वीकार है, प्रतिवादी कम 1 ता 3 मेल खातेदार के जायज वारिस हैं, साथ ही प्रतिवादी क्रम 5 व 6 को जबरन परेशान करने की गरज से जबरन पक्षकार बनाया गया है, इस कारण उक्त वाद पत्र खारिज होने योग्य है। मद नं0 2 वादपत्र जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। मद नं0 3 वादपत्र में समस्त तथ्य मनगढन्त व काल्पनिक होने से अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि प्रतिवादीगण क्रम 5 व 6 का अपनी खरीदशुदा भूमि पर खरीद दिनांक से कब्जा चला आ रहा है। वादीगण गलत तथ्यों पर दावा पेश कर न्यायालय व पक्षकारों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे है। शेष वास्तविकता विशेष कथन में अंकित है। मद नं0 4 वादपत्र कपोल कल्पित एवं असत्य होने से अस्वीकार है। वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है तथा वादपत्र निरस्तनीय है। मद नं0 5 वादपत्र गलत व मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है। वादीगण को कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ, वह स्वयं के अनुचित, अवैधानिक व अनाधिकृत कृत्य को छुपा कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहे है। मद नं0 6 वादपत्र कानूनी है। नोटिस देना जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। मद नं0 7 वादपत्र कानूनी है। मद नं० 8 वादपत्र कानूनी है। किन्तु रजिस्टर्ड विक्रय विलेखों को निरस्त करने का अधिकार सिर्फ सिविल न्यायालय को प्राप्त है। मद नं० 9 वादपत्र कानूनी है। मद नं० 10 वादपत्र कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना वादपत्र प्रतिवादी क्रम 6 व 8 के विरूद्ध सर्वथा अस्वीकार है तथा निम्नलिखित विशेष कथन व विशेष आपत्तियॉ पेश की गई।

विशेष कथन व विशेष आपत्तियॉं

प्रतिवादीगण कम 6 व 8 द्वारा दिनांक 27.12.2023 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वाके ग्राम गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारों राजस्थान की आराजी खा०सं० नया 353 पुराना 118 के हाल ख0नं0 1202/29 रकबा 0.4950 हे० व ख0नं0 1203/29 रकबा 1.8328 हे० कुल किता 2 कुल रकबा 2.3278 हे0 कीमतन जरिये रजि० विकय पत्र खरीद की है, जिस पर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज हो चुका है, रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध वादीगण कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। इस कारण वादपत्र खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी कम 6 व 8 ने उक्त आराजियात जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की थी एवं उक्त आराजी के मूल खातेदार द्वारा मौके पर जाकर उक्त आराजी पर दखल दिया था। उक्त खरीद दिनांक से ही प्रतिवादीगण अपनी उक्त खातेदारी की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त बने हुए हैं। प्रतिवादी कम 6 व 8 सद्भावी केता की श्रेणी में आते हैं इस कारण वादपत्र निरस्तनीय है। प्रतिवादी कम 6 व 8 ने उक्त आराजियात जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की थी तथा रजिस्टर्ड विकय पत्र विलेख को निरस्त करने का अधिकार न्यायालय श्री मान को नहीं है तथा इसकी एक मात्र अधिकारिता सिविल न्यायालय को प्राप्त है इस कारण वादपत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी कम 6 व 8 को जबरन परेशान करने की गरज से जबरन पक्षकार बनाया गया है, वे इस वादपत्र की आढ में दबाव बनाकर उनकी खरीदशुदा व कब्जे शुदा आराजी को छीन कर हडपने का षडयंत्र कर रहे हैं इस कारण उक्त वाद पत्र खारिज होने योग्य है।

अतः जवाब वादपत्र एवं काउन्टर वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी कम 7 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया कि मद न० 1 वाद पत्र में आराजी का विवरण स्वीकार हैं किन्तु शेष तथ्य मिथ्या व गलत होने से अस्वीकार हैं प्रतिवादी कम 1 ता 3 मेल खातेदार के जायज वारिस हैं, साथ ही प्रतिवादी कम 7 को जबरन परेशान करने की गरज से जबरन पक्षकार बनाया गया है कारण उक्त वाद खारिज होने योग्य हैं। मद न० 2 वाद पत्र जानकारी के अभाव में अस्वीकार। मद न० 3 वाद पत्र में समस्त तथ्य मनगढन्त व काल्पनिक होने से अस्वीकार हैं। वास्तविकता यह है कि प्रतिवादीगण कम 7 का अपनी खरीदशुद्वा भूमि पर खरीद दिनांक से कब्जा चला आ रहा हैं वादीगण गलत तथ्यों पर दावा पेश कर न्यायालय व पक्षकारों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। शेष वास्तविकता

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

विशेष कथन में अंकित हैं। मद न० 4 वाद पत्र कपोल कल्पित एवं असत्य होने से अस्वीकार हैं। वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं तथा वाद पत्र निरस्तनीय हैं। मद न० 5 वाद पत्र गलत व मिथ्या तथ्यो पर आधारित होने से अस्वीकार हैं। वादीगण को कोई वाद् कारण पैदा नहीं हुआ वह स्वयं के अनुचित अवैधानिक व अनानिधकृत कृत्य को छुपा कर न्यायालय को गृमराह करने का प्रयास किया जा रहा हैं। यह कि मद न० 6 वाद पत्र कानूनी हैं। नोटिस देना जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं। मद न० 7 वाद पत्र कानूनी हैं। मद न० 8 वाद पत्र कानूनी हैं किन्तु रजिस्टर्ड विक्रय विलेखों को निरस्त करने का अधिकार सिर्फ सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। मद नं0 9 वाद पत्र कानूनी हैं। मद नं० 10 वाद पत्र कानूनी हैं।

प्रार्थना वाद पत्र प्रतिवादी कम 7 के विरूद्ध सर्वथा अस्वीकार हैं तथा निम्नलिखित विशेष कथन व विशेष आपत्तियॉ पेश की गई।

<u>विशेष कथन व विशेष आपत्तियॉ</u>

प्रतिवादी कम 7 द्वारा दिनांक 20–12–2023 को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र वाके ग्राम गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान की आराजी खा० सं० नया 354 पुराना 118 के हाल ख०नं० 191 रकबा 0.24 हे0, ख०नं० 197 रकबा 0.08 हैं0, ख नं० 324 रकबा 1.27 हे0 ख0नं0 326/944 रकबा 0.09 हे0, ख.नं. 327 रकबा 0.29 हे0 ख.नं. 328/924 रकबा 0.07 हे0, ख. नं. 329/925 रकबा 0.20 है0 कुल किता 7 रकबा 2.24 हे0 व खाता स० नया 119 पुराना खाता स० 116 ख0सं० 325 रकबा 0.11 हे0 कीमतन जरिये रजि० विकय पत्र खरीद की हैं, जिस पर प्रतिववादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज हो चुका हैं, रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध वादीगण कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं हैं। इस कारण वाद पत्र खारिज होने योग्य हैं। प्रतिवादी कम 7 ने उक्त आराजियात जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की थी एवं उक्त आराजी के मूल खातेदार द्वारा मौके पर जाकर उक्त आराजी पर दखल दिया था। उक्त खरीद दिनांक से ही प्रतिवादीगण अपनी उक्त खातेदारी [illegible] पर निरन्तर काबिज काश्त बने हुए हैं। प्रतिवादी कम 7 सदभावी केता की श्रेणी में आते हैं [illegible] कारण वाद पत्र निरस्तनीय हैं। प्रतिवादी कम 7 ने उक्त आराजियात जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की थी तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख को निरस्त करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान को नहीं हैं तथा इसकी एक मात्र अधिकारिता सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं इस कारण वाद पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

होने योग्य हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 7 को जबरन परेशान करने की गरज से जबरन पक्षकार बनाया गया हैं वे इस वाद पत्र की आढ में दबाव बनाकर उनकी खरीदशुदा व कब्जा शुदा आराजी को छीन कर हडपने का षडयंत्र कर रहे हैं इस कारण उक्त वाद पत्र खारिज होने योग्य हैं ।

अतः जवाब वाद पत्र एवं काउन्टर वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि वादीगण का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

दावे व जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकियात कायम कि गईः—

तनकी सं0 — 01. आया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खातेदार नारायणगिरी जाति गुसाई निवासी धानोदा तहसील खानपुर, जिला झालावाड के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा नारायणगिरी की लाऔलाद मृत्यु होने से नारायणगिरी का कोई वारिस नही है।

(वादीगण)

तनकी सं0 — 02. आया कि वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वयं को वादपत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी के संबंध में खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।

(वादीगण)

तनकी सं0 — 03 आया कि वादीगण वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी के संबंध में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

(वादीगण)

तनकी सं0 — 04 आया कि वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 द्वारा निष्पादित अधिकार पत्र (मुख्तार नामा) पंजियन दिनांक 05.07.2023 तथा विक्रय विलेख पंजियन दिनांक 27.12.2023 व 20.12.2023 को प्रभाव शून्य घोषित करवाने के अधिकारी है तथा इस आधार पर खोले गये नामान्तकरणों को अवैधानिक व प्रभाव शून्य घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी है।

(वादीगण)

तनकी सं0 — 05 आया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में दर्ज वादीगण की भूमि धानोदा खानपुर में स्थित मठ की भूमि है। मठ में महादेव जी की पूजा होती है तथा नारायणगिरी ही वाद की मद नं0 1 में वर्णित भूमि का खातेदार था तथा उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 है।

(प्रतिवादी क्रम 1 ल 3)

तनकी सं0 — 06 आया कि प्रतिवादीगण 6 [illegible] दिनांक 27.12.2023 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वाके ग्राम गन्दोलिया तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या नया 353 पुराना 118 के हाल ख0नं0 1202 / 29, 1203 / 29 कुल 2.3278 हे0 आराजी कीमतन जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरिद की है, तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है।

(प्रतिवादी क्रम 6 व 8)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

तनकी सं0 – 07 आया कि प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 द्वारा प्रतिवादी कम 5 को रजिस्टर्ड मुख्तार नामा 05.07.2023 को नियुक्त किया गया था तथा प्रतिवादी कम 5 द्वारा भूमि को प्रतिवादी कम 6 व 8 को प्रतिफल प्राप्त कर विकय किया गया। रजिस्टर्ड विकय पत्र को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है।

(प्रतिवादी कम 5)

तनकी सं0 – 08 आया कि प्रतिवादी कम 7 द्वारा दिनांक 20.12.2023 को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र ग्राम गन्दोलिया तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या नया 354 पुराना 218 में से आराजी कय की गई।

(प्रतिवादी कम 7)

तनकी सं0 – 09 आया कि वाद के दौरान वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि के संबंध में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही कर रिकार्ड परिवर्तन किया गया है।

(प्रतिवादी कम 1 ल 3)

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सूनी गई। दौराने बहस अभिभाषक वादीगण ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण के कब्जें में थी तथा जो भूमि अवाप्त की गई है उस पर वादीगण को कोई आपत्ति नही है। शेष 14 बीघा भूमि पर हमारा कब्जा है उसके हमें खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाये।

अभिभाषक प्रतिवादी कम 1 ता 4 व 6 व 8 ने अभिभाषक वादीगण के कथनों का पूरजौर विरोध करते हुए कथन किया कि वादीगण ने नारायणगिरी को वादपत्र में लाऔलाद फोत होना बताया है जबकि नारायणगिरी के वारिस मौजूद थे। अतः दावा मिथ्या कथनों को आधार बनाकर पेश किया गया तथा वाद पत्र की मद नं0 3 में वादीगण ने कथन किया है कि वादीगण का कब्जा काश्त वादग्रस्त भूमि पर 50–60 वर्षों से है जबकि लम्बे समय तक कब्जा काश्त होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है तथा वादीगण ने मिथ्या शपथ पत्र पेश किये है। अतः वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावें।

वाद के निर्णयन से पहले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की निम्नलिखित धाराओं को समझना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

<u>अधिकार की घोषणा के लिए वाद (धारा 88 आर0टी0 ए0) :-</u>

1. अभिधारी या सह अभिधारी होने का दावा करने वाला व्यक्ति इस घोषणा के लिए कि वह अभिधारी है या ऐसी संयुक्त अभिधृति में अपने हिस्से की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।
2. खुदकाश्त अभिधारी इस घोषणा के लिए कि वह ऐसा अभिधारी है वाद ला सकेगा।

3. उप अभिधारी ऐसे व्यक्ति, जिससे वह भूमि धारण करता है, के विरूद्व इस घोषणा के लिए कि वह उप अभिधारी है वाद ला सकेगा।
4. राज्य सरकार से भिन्न कोई भू धारक किसी जोत के अभिधारी या सह अभिधारी या खुदकाश्त अभिधारी या उप अभिधारी होने का दावा करने वाले व्यक्ति के विरूद्व ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।

अभिधृति के वर्ग आदि के वारे में वाद (धारा 89 आर0टी0 एक्ट) :–

अभिधृति के जारी रहने के दौरान किसी भी समय अभिधारी या राज्य सरकार से भिन्न भू धारक निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के बारे में घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।

(क) वर्ग जिसका वह अभिधारी है।

(ख) जोत का क्षेत्रफल, उसके संख्यांकित भूखण्ड या उसकी सीमाएँ।

(ग) जोत के बारे में संदेय लगान और नीति जिससे वह संदेय है।

(घ) लगान के नकद में संदेय होने की दशा में, तारीखे जिन पर और किश्ते जिनमें वह संदेय है।

(ड) लगान के वस्तुरूप में संदेय होने की दशा में, फसलों को आंकने, उनका बंटवारा करने या परिदान करने का समय स्थान और रीति।

(च) गैर खातेदार अभिधारी या खुदकाश्त अभिधारी या उप अभिधारी की दशा में अवधि जिसके लिए अभिधृति जारी रहनी है तथा

(छ) कोई भी विशेष शर्तें जो इस अधिनियम से असंगत नही हों।

अन्य अधिकारों की घोषणा के लिए वाद (धारा 91 आर0टी0 एक्ट) :– विनिर्दिष्टतः अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त अपने सब अधिकारों या उनमें से किसी की, जिसके लिए अन्यथा रूप से उपबंध नही है, घोषणा के लिए कोई भी व्यक्ति वाद ला सकेगा।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 दोषपूर्ण बेदखली के विरूद्व व्यादेशः– कोई अभिधारी जिसकी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग से अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू–धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किए जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

धारा 188 आर.टी.एक्ट के अधीन वाद में शाश्वत व्यादेश देने के पहले निम्न शर्तें साबित करनी आवश्यक है किः–

i- वादी विवादग्रस्त जोत का अभिधारी है।

ii- वाद फाइल करने की तारीख को वादी उस वाद भूमि पर काबिज है।

iii- वादी का उस जोत में से अधिकार या उपभोग कर प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण (अतिचार) किया गया है या आक्रमण करने का भय है।

<u>**तनकी नं0 1:–**</u> पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नकल जमाबन्दी ग्राम गन्दोलिया, तहसील अटरू सम्वत 2018–2021 प्रदर्श–3A के अनुसार नारायण गिरी चेला शंकर गिरी जाति गुसाई का नाम भूमि अधिकारी के रूप में कॉलम संख्या 4 में दर्ज रिकार्ड है। खसरा गिरदावरी ग्राम गन्दोलिया तहसील अटरू सम्वत 2018–2022 प्रदर्श–4A में नारायणगिरी पुत्र शंकर गिरी का नाम भूमि अधिकारी के कॉलम में दर्ज रिकार्ड है।

ग्राम गन्दोलिया पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू की जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 प्रदर्श–1 के खाता संख्या 118 का ख0न0 10/841 का रकबा 0.04 है० ख0न0 191 का रकबा 0.24 है0 ख0न0 197 का रकबा 0.08 है० ख0न0 29 का रकबा 3.96 है० ख0न0 324 का रकबा 1.27 है0 ख0न0 326/944 का रकबा 0.09 है० ख०न० 327 का रकबा 0.29 है० ख0न0 328/924 का रकबा 0.07 है० ख0न0 329/925 का रकबा 0.20 है० कुल किता 9 का कुल रकबा 6.24 हैक्टर आराजी में नारायणगिरी चेला शंकरगिरी हिस्सा पूर्ण जाति गुसाई सा. धानोदा तहसील खानपुर खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है।

वाद पत्र की मद नं0 1 में वादीगण ने खातेदार नारायणगिरी की लाऔलाद मृत्यु होना बताया तथा नारायणगिरी का कोई वारिस भी नही होना बताया है।

तहसीलदार अटरू ने वाद के जवाब में कथन किया कि नारायणगिरी के ग्राम गन्दोलिया तहसील अटरू में कोई वारिसान नही है तथा नारायणगिरी की मृत्यु गन्दोलिया में नहीं होना बताया है।

पत्र क्रमांक/1305 दिनांक 25.06.2021 द्वारा तहसीलदार खानपुर (झालावाड) से नारायणगिरी के वारिसान की रिपोर्ट ली गई। नायब तहसीलदार उप तहसील सारोला कलां तहसील खानपुर जिला झालावाड ने पत्रांक 21 दिनांक 27.07.2021 के माध्यम से अवगत करवाया कि नारायणगिरी ग्राम धानोदा कलां से 40 वर्ष पूर्व तहसील पिडावा जाकर निवास करने लग गये तथा उनकी मृत्यु भी पिडावा जिला झालावाड में हुई। ग्राम धानोदा कलां में नारायणगिरी का कोई वारिस नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू द्वारा पत्रांक 1550 दिनांक 26.07.2021 के माध्यम से तहसीलदार पिडावा से नारायणगिरी के वारिसान की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार पिडावा ने पत्रांक 923 दिनांक 20.09.2021 के माध्यम से नारायणगिरी के वारिसान की रिपोर्ट भिजवाई गई तथा अवगत करवाया कि नारायणगिरी के नन्दकिशोर व तेजगिरी नाम के दो पुत्र है तथा नारायणगिरी की पत्नी का नाम सुहाग बाई है तथा नारायणगिरी के पुत्री नही होना बताया।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित विवादित आराजी खातेदार नारायणगिरी के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा नारायणगिरी के वारिसान भी मौजूद है। अतः तनकी नं0 1 का निर्णय विरूद्व वादीगण व प्रतिवादी कम 1,2 व 3 के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं0 2:– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नकल जमाबन्दी ग्राम गन्दोलिया, तहसील अटरू सम्वत 2018–2021 प्रदर्श–3A के अनुसार नारायण गिरी चेला शंकर गिरी जाति गुसाई का नाम भूमि अधिकारी के रूप में कॉलम संख्या 4 में दर्ज रिकार्ड है। खसरा गिरदावरी ग्राम गन्दोलिया तहसील अटरू सम्वत 2018–2022 प्रदर्श–4A में नारायणगिरी पुत्र शंकर गिरी का नाम भूमि अधिकारी के कॉलम में दर्ज रिकार्ड है।

ग्राम गन्दोलिया पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू की जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 प्रदर्श–1 के खाता संख्या 118 का ख0न0 10/841 का रकबा 0.04 है० ख0न0 191 का रकबा 0.24 है0 ख0न0 197 का रकबा 0.08 है० ख0न0 29 का रकबा 3.96 है० ख0न0 324 का रकबा 1.27 है0 ख0न0 326/944 का रकबा 0.09 है० ख०न० 327 का रकबा 0.29 है० ख0न0 328/924 का रकबा 0.07 है० ख0न0 329/925 का रकबा 0.20 है० कुल किता 9 का कुल रकबा 6.24 हैक्टर आराजी में नारायणगिरी चेला शंकरगिरी हिस्सा पूर्ण जाति गुसाई सा. धानोदा तहसील खानपुर खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है।

वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–3A (जमाबन्दी सम्वत 2018–2021) में रामगोपाल पुत्र कन्हीराम व अमरलाल पुत्र गेन्दी[illegible] नाम कॉलम संख्या 5 में कृषक के रूप में तथा नारायणगिरी का नाम भूमि अधिकारी के रूप [illegible] दर्ज रिकार्ड है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2018–2022 में नारायणगिरी पुत्र शं[illegible] अधिकारी के रूप में कॉलम संख्या 5 में व कॉलम संख्या 6 में रामगोपाल पुत्र कन्हीराम एवं अमरलाल पुत्र गेन्दीलाल के नाम उपकृषक के रूप में दर्ज है। वादीगण ने वाद पत्र की मद नं0 1 में खातेदार नारायणगिरी को लाऔलाद फोत

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

होना बताया है तथा वाद पत्र की मद नं0 3 में वादीगण का गत 50–60 वर्षों से लगातार कब्जा बताकर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ एडवर्स पजेशन के आधार पर स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करवाने का अधिकारी बताया है।

तनकी नं0 1 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि नारायणगिरी के वारिसान पुत्र नन्दकिशोर, तेजगिरी व पत्नी सुहाग बाई मौजूद है। अतः वादीगण द्वारा मद नं0 1 में नारायणगिरी को लाऔलाद बताने का कथन मिथ्या साबित है।

वादीगण सम्वत 2012 से विवादित आराजी पर कब्जा साबित करने में असफल रहे है तथा नारायणगिरी के वारिसान भी मौजूद है एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किए जा सकते है। अतः तनकी नं0 2 का निर्णय विरूद्व वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1, 2 व 3 के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं0 3:– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अधीन वाद में शाश्वत व्यादेश देने के पहले निम्न शर्तें साबित करनी आवश्यक है कि:–

i- वादी विवादग्रस्त जोत का अभिधारी है।

ii- वाद फाइल करने की तारीख को वादी उस वाद भूमि पर काबिज है।

iii- वादी का उस जोत में से अधिकार या उपभोग कर प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण (अतिचार) किया गया है या आक्रमण करने का भय है।

जवाब तहसीलदार अटरू के अनुसार ग्राम गन्दोलिया पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू के खाता संख्या 118 के खसरा नं0 29 रकबा 3.96 है0, खसरा नं0 10/841 रकबा 0.04 है0 पर वादीगण काश्त कर रहे है तथा खसरा नं0 324 रकबा 1.27 है0, ख0नं0 327 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 328/924 रकबा 0.07 है0 व ख0नं0 329/925 रकबा 0.20 है0 पर भोजराज, मंगल पुत्र कन्हैयालाल जाति महाजन को अमरलाल पुत्र गेंदीलाल ने मुनाफा काश्त पर दे रखा है तथा ख0नं0 191 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 197 रकबा 0.08 है0 व ख0नं0 326/944 रकबा 0.09 है0 पर वादीगण का कब्जा नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम गन्दोलिया पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू की खाता संख्या 118 की आराजी कुल किता 9 का रकबा 6.24 है0 सम्वत 2072–2075 प्रदर्श–1 के अनुसार नारायणगिरी चेला शंकरगिरी हिस्सा पूर्ण जाति गुसाई सा धानोदा तहसील खानपुर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

वाद पत्र में वादीगण ने नारायणगिरी को मृत बताकर उसके वारिसान नही होना बताया जो कि मिथ्या साबित हो चुका है। अतः वादीगण विवादित आराजी के अभिधारी साबित नही होते है तथा आराजी के हिस्से पर वादीगण का प्रतिकूल कब्जा साबित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर तनकी नं0 3 का निर्णय प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 के पक्ष में तथा विरूद्व वादीगण किया जाता है।

तनकी नं0 4:— किशोरीलाल उर्फ नन्दकिशोर पुत्र नारायणगिरी, तेजगिरी पुत्र नारायणगिरी व सुहाग बाई पत्नी स्व0 नारायणगिरी जाति गुसाई निवासी ग्राम धानोदाकलां तहसील खानपुर हाल निवासी पिडावा जिला झालावाड ने मुख्तारनामा में ग्राम गन्दोलिया पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू की खाता संख्या 118 की कुल किता 9 का रकबा 6.24 है0 भूमि एवं खाता संख्या 119 के ख0नं0 325 का रकबा 0.11 है0 का स्वयं को खातेदार बताया है तथा श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री नन्दलाल जाति अहीर निवासी ग्राम छेलाबेल तहसील अटरू को किशोरीलाल उर्फ नन्दकिशोर, तेजगिरी एवं सुहाग बाई ने मुख्तार नियुक्त कर खाता संख्या 118 में वर्णित ख0नं0 10/841 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 191 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 197 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 29 रकबा 3.96 है0 मे से परवन वृहद सिंचाई परियोजना में अवाप्त रकबा 1.6322 है0 आराजी को छोडकर शेष रकबा 2.3278 है0 आराजी ख0नं0 324 रकबा 1.27 है0, ख0नं0 326/944 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 327 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 328/924 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 329/925 रकबा 0.20 है0 ग्राम गन्दोलिया पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू व खाता संख्या 119 के ख0नं0 325 रकबा 0.11 है0 ग्राम गन्दोलिया तहसील अटरू से संबंधित वह सब कार्य व हस्ताक्षर करने के अधिकार जो उक्त तीनों को स्वयं को प्राप्त है मुख्तार को प्रदान कर दिए। उक्त अधिकारों में उक्त आराजी को विक्रय करने के भी अधिकार प्रदान किए गए हैं।

उक्त मुख्तारनामा को कार्यालय उप पंजीयक अटरू में दिनांक 05.07.2023 को पंजीकृत करवाया गया।

किशोरीलाल उर्फ नन्दकिशोर पुत्र नारायणगिरी, तेजगिरी पुत्र नारायणगिरी व सुहाग बाई पत्नवी स्व0 नारायणगिरी जाति गुसाई निवासी ग्राम धानोदाकलां तहसील खानपुर जिला झालावाड ने जरिए मुख्तार राजेन्द्र कुमार पुत्र नन्दलाल जाति अहीर निवासी छैलाबेल तहसील अटरू वाके ग्राम गन्दोलिया पटवार हल्का मेरमाचाह के खाता संख्या 118 की आराजी में से ख0नं0 29 रकबा 3.96 है0 में से परवन वृहद् सिंचाई परियोजना में अवाप्त रकबा 1.6322 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

आराजी को छोडकर शेष रकबा 2.3278 है0 आराजी में से 1/2 हिस्से की आराजी अर्थात् ख0नं0 29 रकबा 3.96 है0 में से 11639/39600 हिस्से को कुलदीप पुत्र मुरारीलाल जाति अहीर निवासी टांचा तहसील छीपाबडौद जिला बारां को बेचान कर दी। उक्त विक्रय पत्र कार्यालय उप पंजीयक अटरू में दिनांक 27.12.2023 को रजिस्टर्ड करवाया गया।

किशोरीलाल उर्फ नन्दकिशोर पुत्र नारायणगिरी, तेजगिरी पुत्र नारायणगिरी व सुहाग बाई पत्नवी स्व0 नारायणगिरी जाति गुसाई निवासी ग्राम धानोदाकलां तहसील खानपुर जिला झालावाड ने जरिए मुख्तार राजेन्द्र कुमार पुत्र नन्दलाल जाति अहीर निवासी छैलाबेल तहसील अटरू जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पुष्पेन्द्र अहीर पुत्र सत्यनारायण जाति अहीर निवासी छेलाबेल को ग्राम गन्दोलिया तहसील अटरू में स्थित खाता संख्या 118 में स्थित आराजी ख0नं0 29 रकबा 3.96 है0 में से परवन वृहद् सिंचाई परियोजना में अवाप्त रकबा 1.6322 है0 आराजी को छोडकर शेष रकबा 2.3278 है0 आराजी में से 1/2 हिस्से की आराजी अर्थात् ख0नं0 29 रकबा 3.96 है0 में से 11639/39600 हिस्से को विक्रय कर दिया।

नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 (प्रदर्श–1) ग्राम गन्दोलिया तहसील अटरू के खाता संख्या 118 के सम्पूर्ण हिस्से में नारायणगिरी चेला शंकरगिरी हिस्सा पूर्ण जाति गुसाई सा. धानोदा तहसील खानपुर खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार पिडावा के पत्रांक 923 दिनांक 20.09.2021 के माध्यम से प्राप्त नारायणगिरी के वारिसान की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार अटरू द्वारा नामान्तकरण प्रविष्टी क्रम संख्या 1080 दिनांक 22.06.2023 द्वारा खाता संख्या 118 के ख0नं0 10/841, 191, 197, 29, 324, 326/944, 327, 328/924, 329/925 कुल किता 9 का रकबा 6.24 है0 एवं खाता संख्या 119 के ख0नं0 325 रकबा 0.11 है0 का नामान्तकरण किशोरीलाल उर्फ नन्दकिशोर पुत्र नारायणगिरी हिस्सा 1/3, तेजगिरी पुत्र नारायणगिरी हिस्सा 1/3 व सुहाग बाई पत्नी स्व0 नारायणगिरी हिस्सा 1/3 के रूप में दर्ज किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

किशोरीलाल उर्फ नन्दकिशोर पुत्र नारायणगिरी, तेजगिरी पुत्र नारायणगिरी व सुहाग बाई पत्नवी स्व0 नारायणगिरी ने वैशाली मंगल पत्नी गोविन्द मंगल जाति महाजन निवासी सालपुरा रोड अटरू को ग्राम गन्दोलिया तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 118 का ख0न0 ख0न0 191 का रकबा 0.24 है0, ख0न0 197 का रकबा 0.08 है०, ख0न0 324 का रकबा 1.27 है0 ख0न0 326/944 का रकबा 0.09 है० ख०न० 327 का रकबा 0.29 है० ख0न0 328/924 का

रकबा 0.07 है० ख0न0 329/925 का रकबा 0.20 है० कुल किता 7 का कुल रकबा 2.24 हैक्टर में से 1/2 हिस्से की आराजी व खाता संख्या 119 की ख0नं0 325 का रकबा 0.11 है0 आराजी में से 1/2 हिस्से की आराजी को वैशाली मंगल पत्नी गोविन्द मंगल जाति महाजन को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.12.2023 को बेचान कर दिया।

उपरोक्त विवरण व विश्लेषण से स्पष्ट है कि नारायणगिरी विवादित आराजी का खातेदार दर्ज रिकार्ड था, वारिसान रिपोर्ट के आधार पर उसके वैध वारिसान के नाम नामान्तकरण खोला गया तथा वैध वारिसान द्वारा स्वयं रजिस्टर्ड मुख्तारआम के माध्यम से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विवादित आराजी में से भूमि का विक्रय किया गया तथा तनकी नं0 1 व 2 के निर्णय के अनुसार वादीगण अपने कथन साबित करने में असफल रहे है।

अतः वादीगण वर्णित मुख्तारआम, विक्रय पत्र एवं नामान्तकरण को प्रभाव शून्य घोषित करवाने के अधिकारी साबित नही होते है। अतः तनकी नं0 4 का निर्णय वादीगण के विरूद्व एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं0 5:— प्रतिवादी कमांक 1, 2 व 3 द्वारा जवाबदावा में विशेष कथन के रूप में कथन किया कि ग्राम गन्दोलिया की विवादित आराजी तहसील खानपुर जिला झालावाड में स्थित मठ की भूमि है। इसके संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया तथा न ही वादीगण द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश किया गया है। जमाबन्दी सम्वत 2072—2075 प्रदर्श—1 ग्राम गन्दोलिया तहसील अटरू की विवादित आराजी में नारायणगिरी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। जवाब तहसीलदार में भी उक्त संबंध में कोई वर्णन नही किया गया है। अतः तनकी नं0 5 का निर्णय विरूद्व प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 किया जाता है।

तनकी नं0 6:— प्रतिवादी कम 5 राजेन्द्र कुमार पुत्र नन्दलाल अहीर निवासी छैलाबेल, प्रतिवादी कम 6 कुलदीप पुत्र मुरारीलाल अहीर निवासी टांचा तहसील छीपाबडौद व प्रतिवादी कम 8 पुष्पेन्द्र अहीर पुत्र सत्यनारायण अहीर है। प्रतिवादी कम 5 को किशोरीलाल उर्फ नन्दकिशोर पुत्र श्री नारायणगिरी, तेजगिरी पुत्र श्री नारायणगिरी व [illegible] बाई पत्नी स्व0 नारायणगिरी द्वारा जरिए रजिस्टर्ड मुख्तार आम दिनांक (दिनांक 05.07.2023) विवादित आराजी के संबंध में मुख्तार नियुक्त किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी कम 6 कुलदीप पुत्र मुरारीलाल अहीर निवासी टांचा तहसील छीपाबडौद व प्रतिवादी कम 8 पुष्पेन्द्र अहीर पुत्र सत्यनारायण अहीर को किशोरीलाल उर्फ नन्दकिशोर पुत्र श्री

नारायणगिरी, तेजगिरी पुत्र श्री नारायणगिरी व सुहाग बाई पत्नी स्व0 नारायणगिरी द्वारा जरिए मुख्तार (प्रतिवादी क्रम 5) विवादित आराजी में से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र (दिनांक 27.12.2023) आराजी विक्रय (तनकी नं0 4 के विवरण अनुसार) की गई।

न्यायालयों की अधिकारिता के प्रश्न पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों से सिद्वान्त प्रतिपादित किए गए है। जिनके अनुसार अधिकारिता का प्रश्न वाद पत्र में दिए गए कथनों के आधार पर तय करना चाहिए। विक्रय पत्र जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के उपबन्धों का उल्लंघन कर निष्पादित किए गए है उनके शून्य व निष्प्रभावी होने की घोषणा राजस्व न्यायालय कर सकता है तथा शून्यकरणीय दस्तावेज को रद्द करने के लिए सिविल न्यायालय में वाद लाना आवश्यक है।

उपरोक्त विवरण व विश्लेषण के आधार पर तनकी नं0 6 का निर्णय प्रतिवादी क्रम 6 व 8 के पक्ष में किया जाता है तथा विरूद्व वादीगण किया जाता है।

तनकी नं0 7:– तनकी नं0 4 में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 द्वारा प्रतिवादी क्रम 5 को रजिस्टर्ड मुख्तार आम नियुक्त करने व प्रतिवादी क्रम 5 द्वारा प्रतिवादी क्रम 6 व 8 को प्रतिफल प्राप्त कर विवादित आराजी के हिस्से को विक्रय करने का विवरण किया जा चुका है तथा रजिस्टर्ड मुख्तार आम नियुक्त करने व रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों की प्रतिलिपियां भी पत्रावली पर उपलब्ध है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने के प्रश्न पर तनकी नं0 6 में विस्तृत वर्णन व विश्लेषण किया जा चुका है।

रजिस्टर्ड मुख्तार आम के माध्यम से प्रतिवादी क्रम 5 को खातेदार द्वारा मुख्तार आम नियुक्त करना व प्रतिवादी क्रम 5 द्वारा विवादित आराजी में से प्रतिवादी क्रम 6 व 8 को प्रतिफल प्राप्त कर प्रतिवादी क्रम 5 द्वारा विक्रय करना साबित है।

उपरोक्त विवरण व तथ्यों के आधार पर तनकी नं0 7 का निर्णय प्रतिवादी क्रम 5 के पक्ष में तथा विरूद्व वादीगण किया जाता है।

तनकी नं0 8:– किशोरीलाल उर्फ नन्दकिशोर पुत्र नारायणगिरी, तेजगिरी पुत्र नारायणगिरी व सुहाग बाई पत्नी स्व0 नारायणगिरी जो कि प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 है, ने वैशाली मंगल पत्नी गोविन्द मंगल जाति महाजन निवासी सालपुरा रोड वार्ड नं0 10 अटरू को ग्राम गन्दोलिया पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू की विवादित आराजी में से खाता संख्या 118 का ख0न0 ख0न0 191 का रकबा 0.24 है0, ख0न0 197 का रकबा 0.08 है०, ख0न0 324 का रकबा 1.27 है0 ख0न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

326/944 का रकबा 0.09 है० ख०न० 327 का रकबा 0.29 है० ख0न0 328/924 का रकबा 0.07 है० ख0न0 329/925 का रकबा 0.20 है० कुल किता 7 का कुल रकबा 2.24 है0 में से 1/2 हिस्से की आराजी व खाता संख्या 119 के ख0नं0 325 रकबा 0.11 है0 मे से 1/2 हिस्से की आराजी को प्रतिफल प्राप्त कर जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र (दिनांक 20.12.2023) वैशाली मंगल पत्नी गोविन्द मंगल जाति महाजन (प्रतिवादी क्रम 7) को विक्रय की गई। विक्रय पत्र पर विक्रताओं तथा क्रेता व गवाहों के हस्ताक्षर है।

उपरोक्त विवरण व विश्लेषण से प्रतिवादी क्रम 7 द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी क्रय किया जाना साबित है। अतः तनकी नं0 8 का निर्णय प्रतिवादी क्रम 7 के पक्ष में तथा विरूद्व वादीगण किया जाता है।

तनकी नं0 9:– प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 18.11.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थीगण (प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3) ग्राम गन्दोलिया की आराजीयात ख0नं0 29 का रकबा 3.96 है0 में से टुकडे किए जाकर नामान्तकरण संख्या 1034 से ख0नं0 1201/29 रकबा 1.6322 है0 भूमि परवन वृहद् सिंचाई परियोजना की दायी मुख्य नहर हिस्सा पूर्ण सिंचाई विभाग के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है। नामान्तकरण संख्या 1101 ख0नं0 1202/29 रकबा 0.4950 है0 व ख0नं0 1203/29 रकबा 1.8328 है0 कुल किता 2 आराजीयात कुलदीप पुत्र मुरारीलाल अहीर के हिस्सा 1/2 व नामान्तकरण संख्या 1135 पुष्पेन्द्र पुत्र सत्यनारायण अहीर निवासी छैलाबेल के हिस्सा 1/2 खातेदारी में दर्ज कर दी गई है। अतः वर्णित नामान्तकरण निरस्त कर राजस्व रिकार्ड में पूर्व स्थिति बहाल की जावें।

तनकी नं0 4 के विवरण के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रतिवादी क्रम 6 व 8 को (कुलदीप पुत्र मुरारीलाल एवं पुष्पेन्द्र पुत्र सत्यनारायण) जरिए मुख्तार जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र परवन वृहद् सिंचाई परियोजना में अवाप्त रकबा 1.6322 है0 को छोडकर शेष रकबा विक्रय किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 द्वारा वादी पत्र पेश करने के बाद स्वयं ने प्रतिफल प्राप्त कर प्रतिवादी क्रम 6 व 8 को विवादित आराजी का हिस्सा परवन वृहद् सिंचाई परियोजना में अवाप्त रकबे को छोडकर प्रतिवादी क्रम 6 व 8 को विक्रय किया गया। अतः प्रतिवादी क्रम 6 व 8 सद्भावी क्रेता साबित है। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक 757 दिनांक 28.03.2025 के अनुसार विवादित आराजी में से ख0नं0 29 का रकबा 3.96 है0 भूमि में से 1.6322

है0 भूमि परवन वृहद् सिंचाई परियोजना में अवाप्त कर नामान्तकरण संख्या 1034 दिनांक 06.03.2024 दर्ज किया जा चुका है तथा भूमि अवाप्ति के बदले निर्धारित मुआवजा राशि की प्रति भी तहसील रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् इंतकाल निरस्त करने स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही हो रहा था तथा यह वाद के अन्तिम निर्णय से पहले निर्णय था जो विधि सम्मत भी नही हैं एवं वाद की उलझन को बढाता।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही कर रिकार्ड परिवर्तन किया गया है। अतः तनकी नं0 9 का निर्णय प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के पक्ष में किया जाता है।

पुनः पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों, बहस विद्वान अभिभाषकगण एवं तनकीवार निर्णय पर मनन, विवेचन व विश्लेषण करने पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। इस आधार पर वादीगण के वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष –(अ), (ब), (ब) 1, (स) स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 36/2021 **दायर दिनांक :–16.02.2021**

उनवान

1. अमरलाल पुत्र गेन्दीलाल मृतक

1/1 रमेशचन्द पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया

1/2 अशोक कुमार पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया

1/3 कैलाशचन्द पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया

1/4 बृजमोहन पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया

1/5 नवलकिशोर पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया

1/6 विमल कुमार पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

2. ललावती पुत्री रामगोपाल पत्नि नन्दलाल जातियान अहीर निवासीगण गन्दोलिया तह० अटरू जिला बाराँ (राज०)

3. रामनाथी बाई पुत्री रामगोपाल पत्नि जगन्नाथ जाति अहीर निवासी गन्दोलिया हाल निवासी टांचा तहसील छीपाबडोद जिला बारां (राज०)

वादीगण

बनाम

1. तेजगिरी पुत्र नारायणगिरी जाति गुसाई निवासी पिडावा

2. नन्दकिशोर पुत्र नारायणगिरी जाति गुसाई निवासी पिडावा

3. सुहाग बाई पुत्री नारायाणगिरी जाति गुसाई निवासी पिडावा तहसील पिडावा जिला झालावाड (राज०)

4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

5. राजेन्द्र कुमार पुत्र नन्दलाल अहीर निवासी छैलाबेल तह० अटरू

6. कुलदीप पुत्र मुरारीलाल अहीर निवासी टांचा तह० छीपाबडौद

7. वैशाली मंगल पत्नि गोविन्दलाल महाजन निवासी कवाई तह० अटरू जिला बारां (राज०)

8. पुष्पेन्द्र अहीर पुत्र सत्यनारायण अहीर निवासी छैलाबेल तह० अटरू जिला बाराँ (राज०)

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर०टी०एक्ट

उपस्थिति :–

वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री कृष्णकान्त शर्मा प्रतिवादी क्र0 1 ता 4, 6 व 8

प्रतिवादी क्रम 5 व 7:– स्वयं।

मिनजानित मुदई रूबरू .....र.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम गन्दोलिया पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू

की विवादित आराजी खाता संख्या 118 कुल किता 9 का कुल रकबा 6.24 हैक्टर के संबंध में पेश वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....रु..... मुबालिक .....रु..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....रु..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....रु..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 02.04.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.26 16:00:11 IST
Reason: SelfAttested